लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

[खंड 1 में अंक 1 से 12 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1 to 12]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 3, मंगलवार, 23 मार्च, 1971/2 चैत्र 1893 (शक)
No. 3, Tuesday, March 23, 1971 Chaitra 2, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Page
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	MEMBERS SWORN	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण--सभापटल पर रखा गया	President's Address—Laid on the Table	1—7
निधन-सम्बन्धी उल्लेख	Obituary References	7—9
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	9—10
श्री ए० के० गोपालन	Shri A.K. Gopalan	10
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan	10
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee	10—11
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	11
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo	11—12
डा० मेलकोटे	Dr. G.S. Melkote	12
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyam Nandan Mishra	12
प्रो० मधु दन्डवते	Shri Madhu Dandavata	12—13
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	13
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri M. Muhammad Ismail	13
श्री गोखिन्डे	Shri Gotkhinde	13
श्री इरास्मु द० सक्वैरा	Shri Erasmo Desequeira	13
श्री रामदेव सिंह	Shri Ram Deo Singh	13
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	13--18
अनुपूरक अनुदानों की माँगें (रेलवे), 1970–71	Demands for Supplementary Grants (Railway), 1970-71	18
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	18
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1970–71	Demands for Supplementary Grants (General), 1970-71	18
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	

विषय	Subject	पृष्ठ Page
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (मनीपुर), 1970–71	Demands for Supplementary Grants (Manipur), 1970-71	18
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	
रेलवे बजट,1971--72–प्रस्तुत किया गया	Railway Budget, 1971-72—Presented	18—27
श्री हनुमन्तय्या	Shri Hanumanthaiya	18—27
मनीपुर बजट,1971-72–सभा पटल पर रखा गया	Manipur Budget, 1971-72—Laid on the Table	27—28
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	27—28

———

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 23 मार्च, 1971/2 चैत्र, 1893 (शक)
Tuesday, March 23, 1971/Chaitra 2, 1893 (Saka)

लोक-सभा बारह बजकर 20 मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at Twenty Minutes past Twelve of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBERS SWORN

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

श्री समर गुह (कन्टाई)

अध्यक्ष महोदय : कोई ऐसे माननीय सदस्य तो नहीं रह गये जिन्होंने यहां अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की हो। कोई नहीं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण
(PRESIDENT'S ADDRESS)

सचिव : मैं 23 मार्च, 1971 को हुए संसद के दोनो सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

अभिभाषण

संसद् सदस्यगण,

भारतीय गणराज्य की पांचवीं संसद् के संयुक्त सत्र में आपके सम्मुख भाषण करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं देश की उन्नति के नए प्रयासों में लग जाने के लिए आपका आह्वान करता हूं।

आम चुनाव ने एक बार फिर दिखा दिया है कि लोकतन्त्र में स्थायी राजनीतिक शक्ति का एकमात्र स्रोत जनता है। चुनाव से यह सिद्ध हो गया है कि लोगों को अपने पर और लोकतन्त्र की प्रक्रिया पर कितना भरोसा हैं।

हमारे देशवासियों ने अपना निर्णय ले लिया है। मतदान द्वारा उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता दृढ़ता से व्यक्त की है। उन्होंने परिवर्तन के लिये बहुत प्रभावशाली निदेश दिया है ऐसे शान्तिपूर्ण परिवर्तन का जिससे तेजी के साथ देश की ग़रीबी और समाज के कुछ वर्गों की अलगाव की भावना शीघ्र दूर हो और सबको इसका प्रत्यक्ष आभास हो।

हमने कार्य आरम्भ कर दिया है। लेकिन, अब हमें एक बार फिर अपने युग की आवश्यकताओं और देशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप नये दृष्टिकोण विकसित करने हैं, नई नीतियां निर्धारित करनी हैं, नई रीति अपनानी है।

गरीबी दूर करने की नीति को अपना मुख्य उद्देश्य बनाने की स्पष्ट प्रतिज्ञा के आधार पर ही मेरी सरकार फिर से सत्तारूढ़ हुई है। अब इस ध्येय की प्राप्ति के लिये मेरी सरकार उस घोषणा-पत्र में उल्लिखित आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये कटिबद्ध है जिसे मतदाताओ का भरपूर समर्थन मिला है।

शीघ्र ही सरकार मतदाताओं के निदेश पर आधारित नीतियां और कार्यक्रय बनायेगी। चौथी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जायेगा। इस समीक्षा से यह जानकारी सम्भव हो सकेगी कि योजना को क्या नया रूप दिया जावे जिससे कि अर्थ-व्यवस्था में पूंजी-विनियोजन की गति बढ़ सके और उसका प्रभावकारी उपयोग किया जा सके। साथ ही साथ सरकार यह भी निश्चित कर सकेगी कि विकास कार्यक्रमों को किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए जिससे बेरोज़गारी की समस्या हल करने में ठोस सहायता मिले। रोजगार बढ़ाने के व्यापक कार्यक्रम का केन्द्रबिंदु गांव में रोजगार दिलाने का वह कार्यक्रम होगा जिस पर अगले वित्तीय वर्ष के आरम्भ से काम शुरू होगा। यह कार्यक्रम खेती की पैदावार बढ़ाने की योजनाओं से सम्बद्ध होगा और इसके अन्तर्गत सिंचाई के छोटे साधनों का निर्माण और नवीकरण तथा पीने का पानी देने और योजक सड़कें बनाने जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी होगी। शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मेरी सरकार का यह निश्चित मत है कि समतावादी सामाजिक व्यवस्था एवं अधिक से अधिक कृषि उत्पादन के लिये भूमि सुधार अत्यन्त आवश्यक है। पिछले महीनों में मेरी

सरकार ने भूमि सुधार से सबंद्ध कई मसलों पर विशेष ध्यान दिया है । केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय भूमिसुधार समिति बनाई गई हैं । भारत सरकार के मार्गदर्शन के फलस्वरूप उन राज्यों ने भी जहाँ मध्यवर्ती पट्टेदारी अभी तक पूर्णरूप से समाप्त नहीं हो पाई थी उसे समाप्त करने के लिये कदम उठाये हैं । इसके अलावा कुछ राज्यो ने पट्टेदारी को सुरक्षित रखने, लगान की कमी और जोत की अधिकतम सीमा कम करने और छूट पर पाबन्दी लगाने के बारे में कानून बनाये हैं ।

भूमि सुधार का विषय राज्यों के विधायी अधिकार क्षेत्र में आता हैं, फिर भी मेरी सरकार राज्य सरकारों से बराबर अनुरोध करती रहेगी कि वे ग्राम व्यवस्था को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक न्यायसंगत बनाने के लिये आगे कार्रवाई करें । साथ ही सरकार शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य को पूरा करने में लगी रहेगी ।

मेरी सरकार का एक महत्वपूर्ण ध्येय यह है कि पैदावार बढ़ाने के लिये ऋण की सुविधायें उन इलाकों और वर्गों तक पहुंचाई जायें जिनकी अब तक उपेक्षा की जाती रही है । हाल ही में एक व्यापक ऋण गारन्टी योजना आरम्भ की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन ऋण गारन्टी निगम की स्थापना की गई है । यह निगम 1 अप्रैल 1971 के वाणिज्य एवं सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले छोटे ऋणों पर लगभग 75 प्रतिशत तक की गारन्टी दे सकेगा । पहले उत्पादक उद्योगों व खेतीबाड़ी को मुख्य रूप से साहूकारों पर निर्भर होना पड़ता था । अब बैंक इनकी वास्तविक आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दे रहें हैं । यह निश्चय ही एक नया और महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसके द्वारा जन साधारण को बैंक राष्ट्रीयकरण के लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है ।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुँचाने के काम को, और विशेषकर सिंचाई के लिये बिजली के उपयोग को, विशेष महत्व देती है । ग्रामों में बिजली पहुँचाने के कार्यक्रमों में तेजी लाई गई है । इस पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में 2.66 लाख पम्पिग सैटों के लिये बिजली दी गई थी । चालू वर्ष में यह काम और तेजी से किया गया है । ग्राम बिजली निगम ने लगभग 70 करोड़ रुपये की योजनायें स्वीकार कर अपने कार्य का शुभारम्भ किया है । इस कार्यक्रम को भी और आगे बढ़ाया जायेगा ।

मेरी सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि शहरों में गरीब लोग कितनी बुरी हालत में रह रहे हैं । आर्थिक और सामाजिक सुधार की कार्यसूची में गन्दी बस्तियों की सफाई और उनके सुधार को मुख्य स्थान दिया जायेगा, और इनके लिये सरकार अधिक से प्रधिक साधन जुटाने का प्रयत्न करेगी । हाल ही में आवास एवं नगर विकास वित्त निगम की स्थापना की गई है और इसके द्वारा बड़े-बड़े नगरों तथा शहरी इलाकों में आवास की सुविधाओं में वृद्धि हो सकेगी ।

साथ ही गांवों में मकानों की स्थिति सुधारने पर भी और अधिक ध्यान दिया जायेगा । लक्ष्य यह होगा कि भूमिहीन कामगारों को अधिक संख्या में मकान बनाने की जमीन दी जा

सके, आवास भूमि का अधिकार देने का कानून बनाया जाये और देहाती आबादी के लिये अच्छे रहने योग्य मकानों का निर्माण करने में सहायता दी जाये। इस कार्यक्रम में निश्चय ही केन्द्रीय और राज्य सरकारों को मिलकर भाग लेना होगा।

मेरी सरकार के कुछ अन्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(क) उद्योगों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विनियोग (इन्वैस्टमेंट) कार्यक्रमों पर तेजी के साथ अमल करने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिये विशेष दस्ते नियुक्त किये जायें और औद्योगिक उत्पादन की दर में वृद्धि की जाय;

(ख) कृषि में नये तकनीकी ज्ञान का सूखी खेती, नई फसलों और नये क्षेत्रों तक विस्तार किया जाये जहां अभी तक वह नहीं पहुँच पाया है। रेशे और तिलहन जैसी बहुत खपत वाली वस्तुओं का तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुसधान और विस्तार कार्यक्रमों की गति को और बढ़ाया जाये;

(ग) मजदूर संघों के नेताओं और प्रबन्धकों के परामर्श से स्वस्थ औद्योगिक संबंध विकसित किये जावें, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कामगारों को न्यायोचित व्यवहार भी मिले। उत्पादन की वृद्धि के लिये औद्योगिक सबंधों में सुधार उतना ही आवश्यक है जितना कि पूंजी और तकनीकी ज्ञान;

(घ) प्रशासनिक तन्त्र के स्वरूप और संचालन में ऐसे परिवर्तन किये जायं जिससे कि अधिकारों का वास्तविक प्रतिनिधान (डेलीगेशन) हो सके और निर्णय शीघ्र लिये जा सकें; और

(ङ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिये सुव्यवस्थित प्रबंधक संवर्ग (मेनेजीरियल कादर) का निर्माण करने पर विशेष ध्यान दिया जाये।

भारत की अर्थव्यवस्था में 1969–70 में वृद्धि लगभग नियोजित दर से हुई है और चालू वर्ष में भी इसी प्रकार की वृद्धि का अनुमान है। आशा है कि गत तीन वर्षों की भांति इस वर्ष भी फसल अच्छी रहेगी और पैदावार पिछले वर्ष से 55 लाख टन अधिक होकर साढ़े दस करोड़ टन तक पहुंच जायेगी। गेहूँ के उत्पादन में हुई क्रान्ति सर्वविदित है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने चावल की अधिक पैदावार देने वाली कई किस्में निकाली हैं। नये तकनीकी ज्ञान को किसानों तक हम जितने प्रभावकारी ढंग से पहुँचा पाते हैं उतना ही वह उसे अपनाते हैं।

तथापि, खाद्य स्थिति में जो सुधार हुआ है उससे हमें सिर्फ थोड़ी राहत ही मिली है। नई जनगणना के परिणाम गम्भीर चेतावनी देंगे कि हमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए इसे एक आंदोलन का रूप देना होगा। यह अत्यन्त आवश्यक है कि शीघ्र से शीघ्र छोटे परिवार के प्रति आस्था हमारा एक नया सामाजिक मानदंड बने। सच तो यह है कि सामाजिक परिवर्तन का जो महान कार्य हमारे सामने है, उसमें प्रमुख स्थान परिवार नियोजन का होना चाहिए।

यद्यपि हमारी अर्थ व्यवस्था का सामान्य स्वरूप आशाजनक है मेरी सरकार को इसका पूरा ज्ञान है कि पिछले महीनों में कीमतों के बढ़ने से कुछ चिन्ता उत्पन्न हुई है। थोक मूल्य का सूचक अंक प्राय: एक वर्ष पहले की अपेक्षा अब लगभग 3.4 प्रतिशत अधिक है। लेकिन कीमतों के इस प्रकार बढ़ते रहने पर भी अनाज की कीमतों में लगभग 6.5 प्रतिशत की कमी हुई है। इसलिए जिन चीजों की कमी है, उन्हें बड़ी मात्रा में बाहर से मंगवाकर सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने की कोशिश की है और साथ ही देश में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं।

मेरी सरकार देश के विकास में विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाकर उस पर अमल करने का विचार रखती है। यह योजना मुख्य रूप से हमारी सामाजिक-आर्थिक योजना पर आधारित होगी। इस योजना की एक विशेषता यह होगी कि राष्ट्रीय प्रयास के कुछ ऊँची प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विस्तृत कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे जिनमें विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग होगा।

सरकार ने इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के संतुलित विकास के लिये एक इलैक्ट्रानिक्स कमीशन की स्थापना की है। यह कमीशन इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और औद्योगिक कार्य से सम्बन्धित होगा।

मेरी सरकार को इस बात की चिन्ता है कि तीव्र आर्थिक विकास के फलस्वरूप वायु, जल और धरती दूषित न होने पाए। प्राकृतिक साधनों का प्रबन्ध विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए और इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जीवन और परिस्थितियों का पारस्परिक सन्तुलन न बिगड़ने पाये।

देश के कुछ भागों में साम्प्रदायिक तनाव रहने और कभी-कभी हिंसात्मक उपद्रव होने से हमारी धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र तथा सभ्य जीवन के आधारभूत मूल्यों के लिये खतरा पैदा होता है। सरकार इस खतरे पर काबू पाने के लिये कृतसंकल्प है। यह राष्ट्र के जीवन-मरण का प्रश्न है और इसलिये यह आवश्यक है कि इस समस्या के समाधान को राष्ट्रीय महत्व का कार्य माना जाये।

पिछले दिनों पश्चिमी बंगाल में हिंसा बढ़ी है। स्वतन्त्रता संग्राम के हमारे एक वरिष्ठ व कर्मठ साथी श्री हेमन्त कुमार बसु तथा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या से हम सभी को आघात पहुँचा है। समाज विरोधी गुट प्राय: राजनीतिक ढोंग रचकर बदला लेने की भावना से काम करते हैं। फिर भी, पश्चिमी बंगाल में हाल के चुनावों के परिणामों से साफ पता चलता है कि लोगों ने लोकतन्त्र में अपनी आस्था पुन: स्थापित की है।

मेरी सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि वह अव्यवस्था और हत्या तथा हिंसा की 'राजनीति' को समूल नष्ट करेगी। इसके साथ ही वह निजी और सरकारी विनियोग की सहायता से कलकत्ते के कायाकल्प करने के कार्यक्रम पर तेजी से काम करने का विचार रखती है। कलकत्ता महानगर विकास अधिकरण ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। औद्योगिक

पुनर्निर्माण निगम भी शीघ्र स्थापित होने वाला है। पश्चिमी बंगाल में विकास के और भी कार्य आरम्भ किये जा रहे हैं।

पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम जुलाई 1970 में पास किया गया था जिसके अनुसार, फसल में बरगादार का हिस्सा बढ़ा दिया गया है, और भूमि पर खेती करने और उस पर विरासत पाने का उसका अधिकार सुरक्षित कर दिया गया है। जोत की अधिकतम सीमा कम करने और परिवार को इकाई मानकर उसे नियत करने की दृष्टि से हाल ही में एक राष्ट्रपति अधिनियम बना दिया गया है।

आप जानते ही हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत निर्णय से भूतपूर्व रियासतों के राजाओं की मान्यता समाप्त करने के आदेश रद्द घोषित कर दिये गये हैं। फिर भी, राजाओं के प्रिवी पर्सों और उनके विशेषाधिकारों को समुचित संविधानिक उपायों द्वारा समाप्त करने के सरकार के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कहीं आशा है कहीं निराशा। पश्चिम और पूर्वी यूरोप के देशों के बीच तनाव में कमी हुई है। जर्मन संघ गणराज्य और सोवियत संघ तथा पोलैंड की सरकारों के बीच हुये समझौतों का हम स्वागत करते हैं। लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में स्थिति बिगड़ी है।

हिन्द-चीन में स्थिति और बिगड़ी है। कम्बोडिया और लाओस में युद्ध क्षेत्र बराबर बढ़ ही रहा है, जो शांति के हित में नहीं है। हमारा हमेशा यह अनुरोध रहा है कि सावधानी से काम लिया जाये। हमने इस बात पर जोर दिया है कि जनेवा समझौते के अन्तर्गत शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा ही समस्या का हल किया जाये। हमारा विश्वास है कि सबसे अच्छा हल यह होगा कि एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हो, जिस पर संसार की बड़ी शक्तियां और इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले दूसरे देश हस्ताक्षर करें।

पश्चिम एशिया में विराम-संधि होते हुये भी बेचैनी है। संयुक्त अरब गणराज्य ने हाल ही में कुछ एक कदम उठाकर यह स्पष्ट किया है कि वह वास्तव में सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर, 1967 के प्रस्ताव पर अमल करना चाहता है। मेरी सरकार को आशा है कि इस पर स्वीकारात्मक प्रतिक्रिया होगी।

हिन्द महासागर में विदेशी शक्तियों द्वारा सैनिक अड्डे बनाने और दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की प्रस्तावित बिक्री से हमें चिन्ता हुई है। लुसाका घोषणा के अनुसार हम चाहते हैं कि हिन्द महासागर शांति का क्षेत्र बना रहे और सैनिक मुठभेड़ और बड़े राष्ट्रों की होड़ से बचा रहे।

हाल ही में इण्डियन एयरलाइन्स के विमान के अपहरण और बाद में उसे नष्ट कर देने के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार के रवैये पर भारत सरकार और यहां की जनता में गहरा रोष था। इस प्रकार भड़काने वाली कार्यवाहियों से मित्रता और आपसी समझ-बूझ पैदा नहीं हो सकती, जो कि हम चाहते हैं।

मेरी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दी से अलग रहने की अपनी नीति पर अडिग रहेगी और उसका निर्भयता से पालन करेगी। जब कभी शांति को खतरा होगा, स्वतन्त्र देशों की स्वाधीनता नष्ट होगी, और उपनिवेशवाद को उसके पुराने या नये रूप में लाने की कोशिश की जायेगी, मेरी सरकार आवाज़ उठायेगी।

आपका यह सत्र छोटी अवधि का होगा जिसमें आवश्यक वित्तीय और बजट सम्बन्धी कार्य ही निपटाए जायेंगे। आगे के कार्यक्रम के लिये आप कुछ समय बाद फिर एकत्रित होंगे। 1971-72 के वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार की आमदनी और खर्च का ब्योरा आपके सामने रखा जायेगा। हिमाचल राज्य (संशोधन) अध्यादेश, 1971 तथा श्रम भविष्य निधि नियम (संशोधन) अध्यादेश, 1971 के स्थान में सरकार बिल प्रस्तुत करेगी। आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 को जारी रखने के लिये भी संसद् के इसी सत्र में बिल प्रस्तुत किया जायेगा।

माननीय सदस्यगण, भारत की जनता ने स्पष्ट शब्दों में अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय के साथ ही राजनीतिक अनिश्चितता और दांवपेच की राजनीति समाप्त होती है। चुनाव की सरगर्मी के बाद अब हमें अपने देशवासियों की सेवा में लग जाना चाहिये। हम सब को इसका गर्व है कि राजनीतिक लोकतंत्र और संसदीय संस्थाओं का विकास हुआ है और उनकी जड़ें हमारे देशवासियों के दिलों और दिमागों में गहरी बैठ गई हैं। जनता की इच्छा का आदर करते हुए हमें लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना चाहिये।

मेरी सरकार को जो भारी बहुमत मिला है, वह उस लम्बी और कठिन यात्रा का पहला कदम है जिसे हमें तय करना है। गरीबी और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में विजय पाने के लिये हमारे लाखो-करोड़ों देशवासियों को बड़ी लगन और निष्ठा के साथ परिश्रम करना होगा। मुझे विश्वास है कि संसद् के सदस्यगण और भारत की जनता समय की चुनौतियों का सामना करने के लिये अपना पूर्ण सहयोग देगी।

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने सात मित्रों श्री मुहम्मद इस्लामुद्दीन, डा० एडवर्ड पाल मथुरम, श्री नाथपाई, श्री सी० एन० पी० सिन्हा, श्री के० एम० मुंशी, श्री बी० पी० चालिहा और डाक्टर डी० सी० मलिक की दुखद मृत्यु की सूचना सदन को देनी है।

श्री मुहम्मद इस्लामुद्दीन बिहार के पूर्वीया निर्वाचन क्षेत्र से 1952-57 के प्रथम लोकसभा के सदस्य थे। उनका देहान्त 77 वर्ष की आयु में लाखीपुर में 18 दिसम्बर, 1970 को हुआ।

डा० एडवर्ड पाल मथुरम 1952-57 के तिरुचिरापल्ली (मद्रास) निर्वाचन क्षेत्र के प्रथम लोकसभा के सदस्य थे। 67 वर्ष की आयु में 17 जनवरी, 1971 को तिरुचिरापल्ली में उनका देहान्त हो गया।

श्री नाथपाई महाराष्ट्र से दूसरी, तीसरी और चौथी लोकसभा के सदस्य रहे हैं। वे एक योग्य संसदविज्ञ, कट्टर समाजवादी तथा सर्वसाधारण के अधिकारों के समर्थक थे। सन् 1964 में वे संयुक्त राष्ट्र मानवीय अधिकार आयोग के सदस्य भी रहे थे। उनके मैत्रीपूर्ण स्वभाव ने सभी सदस्यों को मौहित कर रखा था। जहां तक लोकसभा का सम्बन्ध है, वे एक ऐसे योग्य तथा सक्रिय सदस्य थे जिन्होंने सदन के सामने ऐसे मामले उठाने का कोई अवसर नहीं चूका जो कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों तथा संसदीय प्रजातंत्र के कार्यकलाप से सम्बंधित होते थे। वे छोटी ही आयु में नेता बन गये थे और वह अपने संसदीय जीवन में सदा नेता ही बने रहे। नियमों, प्रक्रिया तथा संविधान से सम्बंधित उनके बिलक्षण ज्ञान से उन्हें सदन तथा समितियों में विशेष स्थान प्राप्त था और जब भी वे इन मामलों पर बोलते थे तो उन्हें सभी बहुत ही ध्यान से सुनते थे। वे मेरे निजी मित्र थे और प्रक्रिया तथा संविधान के मामलों सम्बन्धी उनके परामर्श से अब मुझको वंचित होना होगा। वे एक आदर्श संसदविज्ञ थे जिन्हें किसी के प्रति भी वैर न था। बेलगांव में 18 जनवरी 71 को छोटी आयु में उनका देहान्त हुआ। हमे इस बात का बहुत दुख है कि एक गुणवान व्यक्ति छोटी सी आयु में ही चल बसा।

श्री सी० एन० पी० सिन्हा, बिहार के उत्तर-पश्चिम मुज़फ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र से पहली लोकसभा में सदस्य रहे हैं। 6 फरवरी, 1971 को भंडारी गांव में 50 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया।

श्री के० एम० मुंशी एक बड़े देशभक्त तथा राष्ट्रीय नेता थे। वर्ष 1946 तथा 1952 के दौरान वह संविधान सभा तथा अन्तरिम संसद के सदस्य थे। 1950-52 वह केन्द्रीय मंत्रिमडल में खाद्य तथा कृषि मंत्री भी रहे थे। वह भूतपूर्व बम्बई राज्य की विधान सभा के सदस्य तथा गृहमंत्री थे। 1952-57 तक वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। वह प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे वह एक बहादुर स्वतन्त्रता सेनानी, शिक्षाविद्र, लेखक, संविधान-विशेषज्ञ तथा भारतीय कला और संस्कृति के प्रेमी थे। देश की आज़ादी के लिये वह कई बार जेल गये। भारतीय विद्या भवन, जिसके वे संस्थापक प्रधान थे, देश के लिये उनकी अनुपम भेंट है। 84 वर्ष की आयु में बम्बई में 8 फरवरी, 1971 को उनका देहान्त हो गया।

श्री बी० पी० चालिहा वर्ष 1954-57 में पहली लोकसभा के सदस्य थे। वह 1957 से लेकर 1970 तक आसाम के मुख्य मंत्री रहे थे। नागालैंड शांति मिशन के सदस्य के नाते उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। वह आज़ादी का लड़ाई के एक बहादुर सिपाही थे तथा सर्वदा ग़रीबों के लिये लड़ते रहते थे। उनकी संगठन शक्ति सराहनीय थी और आसाम के पहाड़ी तथा मैदानी इलाकों के लोगों की भावात्मक तथा सांस्कृतिक एकता की दिशा में उन्होंने कार्य किया था। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिये इस वर्ष उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि भी प्रदान की गयी थी। शिलांग में 59 वर्ष की आयु में 25 फरवरी, 71 का उनका देहान्त हुआ। उनकी मृत्यु के साथ साथ देश का एक बड़ा राजानीतिज्ञ चल बसा।

डा० डी० सी० मलिक 1959-62 तक बिहार के धनवाद निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी लोकसभा के सदस्य थे। 22 फरवरी, 1971 को 77 वर्ष की आयु में धनवाद में उनकी मृत्यु हो गयी। इन मित्रों की मृत्यु पर हम अपना शोक प्रकट करते हैं और मुझे आशा है कि शोक संतप्त परिवारों को शोक संदेश भेजने में सदन मेरे साथ है।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृहकार्य मंत्री, योजना मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)

अध्यक्ष महोदय, लोकसभा तथा संविधान सभा के जिन सदस्यों के प्रति आपने शोक प्रकट किया उसमें मैं भी आपके साथ हूँ।

श्री मुहम्मद इस्लामुद्दीन बिहार के एक सक्रिय लोक सेवक थे। वे हमारे दल के भी सक्रिय कार्यकर्त्ता थे।

डा० एडवर्ड पाल मथुरम पहली लोकसभा के एक निर्दलीय सदस्य थे। उन्होंने डाक्टर के रूप में तामिलनाडु की बहुत सेवा की है। वे सामाजिक कार्यों में भी काफी रुचि लिया करते थे।

श्री डी० सी० मलिक ने असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के लिये वकालत छोड़ी थी, उनका बिहार की राजनीति तथा कांग्रेस से नज़दीकी सम्पर्क था। वे रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते थे।

श्री के० एम० मुंशी हमारे जागरण काल के अन्तिम प्रतिनिधि थे। वे असीम शक्ति तथा रचनात्मक प्रयत्नों के समिश्रण थे। उनका व्यक्तित्व विभिन्न गुणों से अलंकृत था। उन्होंने कानून, साहित्य तथा हमारी संस्कृति के अध्ययन पर अपनी छाप छोड़ दी है।

मुझे श्री विमल प्रसाद चालिहा को कई वर्षों से जानने का सौभाग्य मिला था। वे हमारे देश के एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। ज़रूरत पड़ने पर वे काफी कठोर रुख भी अपना लेते थे। सच्चे तथा लोगों के विश्वासपात्र होने के कारण वे आसाम के लोगों के बीच पितृतुल्य समझे जाते थे। काफी समय से बीमार होने के बावजूद भी वे अपना दायित्व संभालते रहे।

अभी कुछ दिन पहले तक श्री नाथपाई हमारे बीच थे। अध्यक्ष महोदय, आपही नहीं सदन के सभी सदस्यों के मित्र श्री नाथपाई एक ऐसे दुर्लभ व्यक्ति थे जिनकी संवेदन शीलता गटिया तथा कलावासी की राजनीति से अछूती रही। जनहितों की उन्होंने सदा ही बढ़ी वक्तृता के साथ तथा भावपूर्ण शब्दों में हिमायत की वह सबके लिये न्याय चाहते थे।

लेकिन इन सब बातों के ऊपर वे निष्कपट तथा उदार हृदय व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी योग्यता द्वारा हमारे राजनैतिक जीवन तथा इस लोकसभा में अपने लिये विशेष स्थान बना लिया था। उनका भविष्य उज्जवल था और उनके स्वर्गवास से संसद में जो रिक्तता हो गयी है उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हम सबको उनका अभाव हमेशा खटकता रहेगा।

अपने इन विशिष्ट सहयोगियों के परिवारों को शोक संदेश भेजने का मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अ० कु० गोपालन (पालघात) : अध्यक्ष महोदय आपके तथा सदन के नेता द्वारा व्यक्त किये गये भावों में मैं आप के साथ हूं। सात मृत मित्रों में से एक अंतरिम संसद के सदस्य थे। उनमें से श्री नाथपाई एक ऐसे सदस्य थे जिनसे मेरे व्यक्तिगत सम्बन्ध थे। संयुक्त महाराष्ट्र समिति आंदोलन तथा गोआ मुक्ति संघर्ष में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था जिनमें मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला था। पुरानी संसद के जो भी सदस्य यहां हैं वे इस बात को जानते हैं कि वह कितने सक्रिय संसदज्ञ थे। निस्संदेह उनकी मृत्यु का दुख इस सदन के सभी सदस्यों को महसूस होगा। सदन के अपने दल की ओर से मैं शोकसंतप्त परिवारों को शोक सदेश भेजने के लिये निवेदन करूंगा।

श्री के० मनोंहर (मद्रास उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक दुखद परम्परा सी बन गयी है कि जब भी सदन का अधिवेशन प्रारम्भ होता है तो हमें अपने ऐसे साथियों की दुखद मृत्य पर शोक व्यक्त करना होता है जो अनेक वर्षो तक हमारे साथ रहे।

उन सात सदस्यों में से जो आज हमारे बीच नही है, श्री नाथपाई के साथ मेरे व्यक्तिगत सम्बन्ध थे। वह एक उच्चकोटि संसदज्ञ होने के अतिरिक्त एक अच्छे वक्ता भी थे। जब भी दे सदन में बोलने के लिये उठते तो देश की संसदीय परम्परा के लिये कुछ न कुछ योगदान अवश्य करते थे।

शेष भूतपूर्व सदस्यों के साथ मेरे व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं थे लेकिन मैं जानता हूँ कि देश की संसदीय परम्परा के प्रति उनका योग सराहनीय रहा है। उनकी मृत्यु से हुई क्षति सचमुच कभी पूरी नहीं हो सकती है। मैं अपने दल की ओर से शोक प्रकट करने में सदन के नेता तथा प्रतिपक्ष के नेता का साथ देता हूँ।

श्री एच०एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : प्रत्येक अधिवेशन के शुरु होने पर हमें अपने भूतपूर्व सहयोगियों की मृत्यु पर शोक प्रकट करना होता है। कभी-कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जब हमारे बीच से ऐसे लोग चले जाते हैं जिन्हें कुछ दिन हमारे बीच और रहना चाहिये था। श्री के० एम० मुन्शी जैसे लोगों के बारे में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संस्कृति के मूल्य को सही रुप से आंकने के लिये इनका नाम हमेशा याद रखा जायेगा। भारतीय विद्या भवन की स्थापना उनका एक महान् तथा महत्वपूर्ण कार्य है।

श्री डी० सी० मलिक बहुत पहले कांग्रेसी थे और उन्होंने अपना समस्त जीवन देश के लिये अर्पित कर रखा था। श्री सी० पी० एन० सिन्हा पहली लोक सभा के एक लोकप्रिय सदस्य थे।

श्री मुहम्मद इस्लामुद्दीन तथा डा० एडवर्डपाल मथुरम की मृत्यु का भी हमें दुख है। लेकिन श्री विमलप्रसाद चालिहा की मृत्यु के लिये हम तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी सेवाओं की देश को और जरुरत थी। वह पहली लोकसभा के सदस्य भी रह चुके थे। उनकी उपस्थिति

काफी प्रभावशाली होती थी, जब आसाम की समस्याएं असली रुप में सामने आईं तो श्री विमलप्रसाद चालिहा जैसे लोग ही इन समस्याओं को हल कर सकते थे। यह सोच कर कितना दुख होता है कि वे अब हमारे बीच नहीं है। परन्तु सबसे भयंकर दुख श्री नाथपाई का निधन है उनका अभाव उन सभी लोगों को सदा खटकता रहेगा जो उनके सम्पर्क में आये थे। और उनके सम्पर्क में संसद सदस्य ही नहीं, अपितु सारा देश आया था। वे स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी बेलगाम में काफी देर तक भाषण देते रहे। इस सदन में भी हम उन्हें अधिक देर तक बोलने से रोकते रहते थे क्योकि हम जानते थे कि वे दिल के रोगी हैं परन्तु वे अपने रोग से अधिक मान्यता देश के हितो को देते थे।

इस सदन में हम लोगों के लिये, जिन्होंने उन्हें काम करते हुए देखा। जिन्होंने उनके मुहावरेदार भाषण सुने, जिन्होंने उनके सविधान तथा संसद सम्बन्धी ज्ञान को देखा, उनके लिए श्री नाथपाई के निधन की हानि इतनी बड़ी है जिसे कभीं दूर नहीं किया जा सकता। हमारे दिल उन की मृत्यु से दहल गये हैं। वह अल्पायु में ही चले गये। उन्हें कुछ समय और जीना चाहिये था जिस से कि देश की कुछ और सेवा कर सकते।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, death is inevitable; but when it comes to a person like Shri Nath Pai, our hearts are moved to the core and fragility of life comes before us with all its horrors.

It is difficult to think of this House without Shri Nath Pai. It was difficult to believe that such a personality will leave us so suddenly. He was a true patriot. He was a good orator too. A magician of words, he always injected life into the proceedings of the House. He always took discussion to a very high plane. Not only this House but all the youths of the country feel sorry on his untimely death. We have lost a brilliant politician in Shri Nath Pai.

So far as Shri K. M. Munshi is concerned, he has become an institution in himself. Shri Munshi had made his place in the literary world and he will always be remembered as a lawyer and an education list. He founded Bhartiya Vidya Bhawan His death is a great loss to our country.

Shri Chaliha had distinguished himself as a genious and a simple man. This quality is found very rarely in the politicians. He has carved out his place in the history of the country as a distinguished Chief Minister of Assam. Our country has lost a great person in Shri Chaliha.

We pay our homage to other persons also who have left us during this period. I request you to convey our heartfelt condolences to the bereaved families.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मौत के भयंकर हाथीं ने हमारे देश के राजनीतिक जीवन से कुछ महान व्यक्तियों को छीन लिया है। इनमें से कुछ व्यक्तियों के साथ मेरे व्यक्तिगत सम्बन्धी थे।

श्री नाथपाई की मृत्यु मेरे लिए एक व्यक्तिगत हानि है। यद्यपि राजनैतिक मामलों पर हमारे मतभेद भी थे तथापि मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता था और इसलिए उनकी संसदीय गतिविधियों को सदा याद रखा जायेगा श्री नाथपाई के बिना लोक सभा की कल्पना

करना कठिन है। वह जिस तरह से संविधान तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों की विवेचना करते थे वह उल्लेखनीय है।

श्री के० एन० मुन्शी स्वयं में एक सांचा थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान तथा हैदराबाद को स्वतंत्रता कराने और भूतपूर्व रियासतों को भारत में मिलाने में उन्होंने जो कार्य किया उसको भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। विद्याभवन को सदा याद रखा जायेगा।

आसाम राज्य की समस्याओं को श्री चालिहा ने जिस प्रकार सुलझाया वह उल्लेखनीय है। उनकी मृत्यु से भी मुझे एक व्यक्तिगत हानि हुई है।

अन्य जिन मित्रों को मौत ने निगल लिया है उनके बारे में मैं स्वयं को सभा में व्यक्त की गई भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हूँ।

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : इस सभा में व्यक्त की गई भावनाओं से मैं अपने को सम्मिलित करता हूँ। श्री मुन्शी ने हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए जो कार्य किया हम उसको कभी नहीं भुला सकते।

श्री नाथपाई के बारे में यह सोचना भी कठिन हो रहा है कि वह इस समय हमारे बीच में नहीं हैं। वह एक योग्य संसद सदस्य थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको एक संसद-विज्ञ तथा एक अच्छे मित्र के रुप में सदा याद रखा जायेगा। यह बड़े दुख की बात है कि वह इस समय हमारे बीच में नहीं हैं।

मैं अपनी तथा तेलंगाना के लोगों की ओर से आप से अनुरोध करूंगा कि आप शोक संतप्त के परिवारों तक हमारी भावनाएं पहुंचा दें।

श्री श्यामानन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इन सात प्रसिद्ध व्यक्तियों की मृत्यु से हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में जो शून्यता उत्पन्न हो गई है उस पर हमारे दल को गहरा दुख है। समय के अभाव के कारण मैं अधिक न कह कर अपने आपको आप द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हूँ। उनमें से कुछ व्यक्तियों के साथ मेरे गहरे सम्बन्ध थे। उनकी मृत्यु से मेरे हृदय में एक गहरा घाव उत्पन्न हो गया है। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि शोकि संतप्त परिवारों तक संवेदेना संदेश पहुँचाने में आप मेरे दल को भी सम्मिलित करलें।

मैं इन सब को अपनी तथा अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

प्रो० मधु दन्डवते (रानापुर) : विभिन्न संसद-विज्ञों को यहां पर जो श्रद्धांजलियां अर्पित की गई हैं मैं स्वयं को उसके साथ सम्मिलित करता हूँ। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसी चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिसका श्री नाथपाई ने चौदह वर्षों तक किया है। वह एक महान संसद विज्ञ थे। न केवल लोकतंत्रात्मक समाजवाद बल्कि संसदीय लोकतंत्र के मूल्य उनको सर्वप्रिय थे। वह क्रान्ति की भावना के साथ जागरण का भी प्रतिनिधित्व करते

थे। वह एक निर्भय व्यक्ति थे। वह प्रत्येक क्षण मृत्यु को याद रखते थे। मेरे विचार में श्री नाथपाई को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह होगी कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार बहाल किया जाये ताकि संविधान देश के पिछड़े लोगों की भावनाओं तथा वास्तविक आशाओं का एक सच्चा प्रतीक बन सके। जब कभी भी सभा में तनाव उत्पन्न होता था तो श्री नाथपाई अपने प्रसन्न चित्त स्वभाव से उसको दूर कर देते थे।

श्री नाथपाई जब बोलते थे तो वह जीवन की अन्तर आत्मा को छू लेते थे। श्री नाथपाई के विचार उनके मस्तिष्क से उभरते थे और वे भावनाओं को छू लेते थे। ऐसा महान उनका व्यक्तित्व था।

उनका स्वप्न संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की प्रभुसत्ता को स्थापित करना था। अतः श्री नाथपाई को श्रद्धांजलि देते समय हमें यह देखना है कि संसद को पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त हो जिससे सामाजिक परिवर्तनो के अनुरुप संविधान में संशोधन किया जा सके।

अन्य संसद विज्ञों को जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है मैं उसका अनुसमर्थन करता हूँ। श्री मुन्शी ने न केवल स्वतंत्रता संघर्ष में अपितु भारत के संविधान के निर्माण में भी उल्लेखनीय कार्य किया है।

डा० करणी सिंह (बीकानेर) : भाग्य ने आज पुनः हमारे सात साथी हमसे छीन लिए हैं। उनमें से कुछ को मैं 1952 से जानता हूँ। वे मेरे नेता थे तथा मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनकी मृत्यु से जो शून्यता उत्पन्न हो गई है उसको हम सब महसूस कर रहे है। श्री नाथपाई की मृत्यु से मुझे एक व्यक्तिगत हानि हुई हैं। एक प्रसिद्ध संसद सदस्य होने के अतिरिक्त वह सच्चे शब्दों में एक मानव थे। वह सच्चे समाजवादी थे। संसद सदस्य आते तथा जाते रहेंगे परन्तु श्री नाथपाई की योग्यता का व्यक्ति मिलना कठिन है।

मैं अनुरोध करता हूँ कि उनके संतप्त परिवारों को हमारी संवेदना भेजी जाय।'

श्री मोहम्मद इस्माइल (मेजेटीन) : मैं मुस्लिम लीग पार्टी की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ डा० पाल मथुरम भी एक असाधारण थे समाज सेवी थे। वे एक भद्र पुरुष थे और उनके मित्रों की संख्या बहुत अधिक थी।

श्री नाथपाई वास्तविक रुप में एक महान संसद् शास्त्री तथा असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे बड़े विद्वान तथा युक्ति-युक्त वक्ता थे।

श्री के० एम० मुन्शी एक बड़े देश भक्त, आदरणीय राष्ट्रीय नेता, प्रसिद्ध तथा गुणवान वकील, विद्वान तथा लेखक थे।

अन्य सज्जनो में भी बहुत गुण थे। यह बहुत दुःख की बात है कि ऐसे व्यक्ति हमें छोड़कर लगातार जा रहे हैं जिससे न केवल संसदीय जीवन को अपितु समूचे देश को हानि हो रही है।

श्री गोखिन्डे (सांगली) : कालिज के जीवन में स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले हम में से बहुत से व्यक्तियों को श्री नाथपाई के जीवन से प्रेरणा मिली थीं। वह बोलते समय ऐसे-ऐसे तर्क प्रस्तुत करते थे कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य उनको बड़े ध्यान से सुनते थे। श्री नाथपाई की असामयिक मृत्यु से महाराष्ट्र ने अपना गौरवशाली पुत्र और देश ने अपना प्रतिभावान वक्ता खो दिया है। इस महान् संसद्विद के निधन से इस सभा को भारी क्षति हुई है।

महाराष्ट्र–मैसूर सीमा विवाद के सम्बन्ध में उनके द्वारा किये गये प्रयासों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने सीमान्त क्षेत्र में रहने वाले महाराष्ट्र के लोगों के लिये एक नायक की भांति अपने कर्त्तव्य का पालन किया और इसी कार्य को करते हुये उन्होंने अपने प्रिय नगर बेलगांव में प्राण त्यागे।

सभा इस दिवंगत आत्मा को और अच्छे ढंग से श्रद्धांजलि इस प्रकार से अर्पित कर सकती हैं कि सभी सदस्य इस सभा की प्रभुसत्ता को सब प्रकार से बनाये रखने का प्रयत्न करें।

श्री इरास्मो द० सेक्वीरा (मारमागोआ) : श्री नाथपाई जिस ढंग से अपने विचारों को प्रकट करते थे वह इतिहास बन चुका हैं। लेकिन कुछ मतभेद होने के कारण हम उस समय उनके विचारों को नहीं समझ सके थे। बाद के वर्षों में हम उनके विचारों को अच्छी तरह समझने लगे थे।

श्री नाथपाई की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपने घनिष्ठ सदस्यों के साथ भी सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते थे।

यद्यपि श्री नाथपाई एक राष्ट्रपुरुष थे, परन्तु कोंकणी के लोगों के हृदय में उनके लिये विशेष स्थान रहा है क्योंकि वे उन्हीं में से एक थे।

Shri Ram Deo Singh (Maharajgang) : I knew Shri Nath Pai very well. I had an opportunity to work with him. The country requires him badly today. It is very unfortunate that he is no more with us when the country is going ahead towards socialism. The country and the compaigner for socialism had suffered a great loss due to his death.

अध्यक्ष महोदय : दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये अब सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े हो जायें।

इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे
THE MEMBERS THEN STOOD IN SILENCE FOR A SHORT WHILE

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

संविधान के अनुच्छेद 123(2) क के अन्तर्गत अध्यादेश

संसद्-कार्य पोत परिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) हिमाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 1) जो राष्ट्रपति द्वारा 5 जनवरी, 1971 को प्रख्यापित किया गया था।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 2/1971]

(2) पश्चिमी बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा पुनः अधिनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 2), जो राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1971 को प्रख्यापित किया गया था। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये सख्या एल०टी० 3/1971]**

(3) श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 3), जो राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी, 1971 को प्रख्यापित किया गया था।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 4/1971]

अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम के अधीन अधिसूचना

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अ०कु० किस्कु) : मैं श्री के० के० शाह की ओर से अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एस०ओ० 923 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में मदुराई, कोयम्बटूर, करूर, तंजावर और पोलाची नगर विद्युत उपक्रमों के अन्तर्गत आने या द्वारा सेवा किये जाने वाले क्षेत्रों में जनता को विद्युत ऊर्जा की सप्लाई, वितरण तथा पारेषण और कार्यचालन कुशलता के अनुरक्षण से सम्बन्धित सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये सख्या एल०टी० 5/1971]

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णचन्द्र पन्त।

श्री पी०के० देव (कालाहांडी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक संवैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके बैठ जायें।

श्री पी०के० देव : इन पत्रों को सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिये। इनमें कोई संवैधानिक पृष्ठभूमि नहीं है। इन पत्रों को सभा में दो महीने पूर्व रखा जाना चाहिये था।
(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : इन पत्रों को रखने का यह ही सर्वप्रथम अवसर है।

श्री पी०के० देव : इसके लिये राज्य सभा का अधिवेशन बुलाया जा सकता था। सरकार इस मामले में पूर्णतया असफल रही है। **(अन्तर्बाधाएं)** मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने 9 जनवरी को त्यागपत्र दे दिया है और उनका अब त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया।

यह उद्घोषणा 11 तारीख को की गई थी। अतः 9, 10 और 11 तारीख को वहाँ कोई सरकार नहीं थी। अतः उक्त अवधि में पारित निर्वाचन तथा कार्यकारी आदेशों को उड़ीसा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : मैं और अनुमति नहीं दे सकता। पत्र सभा पटल पर रखने की साधारण प्रक्रिया है। कृपया बैठ जाइये। श्री कृ०च० पन्त।

संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत उद्घोषणा

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिकस और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 11 जनवरी, 1971 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 67 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति के दिनांक 11 जनवरी, 1971 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 68 में प्रकाशित हुआ था।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6/1971]

(तीन) राष्ट्रपति के नाम उड़ीसा के राज्यपाल के दिनांक 11 जनवरी, 1971 के बेतार, संदेश की एक प्रति।
[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7/1971]

(चार) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अन्तर्गत दिनांक 23 जनवरी, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 119 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 11 जनवरी, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है।

(पांच) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत, उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 23 जनवरी, 1971 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति,

जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 120 में प्रकाशित हुई थी।

(छः) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अनुसरण में राष्ट्रपति के दिनांक 23 जनवरी, 1971 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 121 में प्रकाशित हुआ था।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8/1971**]

(सात) राष्ट्रपति के नाम उड़ीसा के राज्यपाल के दिनांक 20 जनवरी, 1971 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी) की एक प्रति।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10/1971**]

गृह-कार्य मन्त्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा सविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 23 मार्च, 1971 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 398 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अनुसरण में राष्ट्रपति के दिनांक 23 मार्च, 1971 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 मार्च, 1971 मे अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 399 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) राष्ट्रपति के नाम उड़ीसा के राज्यपाल के दिनांक 22 मार्च, 1971 के ट्रंक टेलीफोन संदेश की एक प्रति।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9/1971**]

अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह-कार्य मन्त्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं **श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे** की ओर से अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा 2 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 152 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय खाद्य निगम की सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 11/1971**]

बिहार में बिजली सप्लाई के बारे में अधिसूचना

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : मैं **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** की ओर से अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 217 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की ऐक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में जनता को विद्युत् ऊर्जा की सप्लाई करने अथवा ऐसी सप्लाई के प्रयोजन से विद्युत् के उत्पादन, संग्रहण अथवा पारेषशा से सम्बन्धित सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिऐ अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 12/1971]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें [रेलवे]

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)

रेलवे मन्त्री (श्री के० हनुमंतैया) : मैं वर्ष 1970–71 के लिए बजट (रेलवे) संबंधी अनुदानो की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें [सामान्य]

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं वर्ष 1970–71 के लिए बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें [मनीपुर]

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (MANIPUR)

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं वर्ष 1970–71 के लिए मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

रेलवे बजट – 1971–72

RAILWAY BUDGET—1971-72

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मैं सहर्ष, सदन में भारत की सरकारी रेलों का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसमें 1971–72 की प्राप्तियों और व्यय का उल्लेख किया गया है।

2. मतदाताओं को अपना दृष्टिकोण समझाने और उनका मत प्राप्त करने में माननीय सदस्यों को पिछले दिनों बहुत व्यस्त रहना पड़ा है और हम सब एक नये उत्साह और सेवा की भावना से इस सदन में एकत्र हुए हैं; लेकिन अभी तक हमें रेल प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न

समस्याओं पर सविस्तार विचार करने का समय नहीं मिला है। इसलिए आज मैं रेल संचालन का पूरा और अन्तिम चित्र सदन के सामने नहीं रख रहा हूं। फिलहाल मैं भारतीय रेलों का वार्षिक वित्तीय विवरण और सम्बन्धित प्रलेख सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ और वित्तीय वर्ष 1971–72 के पहले चार महीनों के अनुमानित खर्च के लिए, 'लेखानुदान' पर सदन की स्वीकृति मांग रहा हूँ। माननीय सदस्य आलोचना, टिप्पणी आदि के रूप में जो विचार यहां प्रकट करेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए पूरा बजट सदन के सामने कुछ महीने बाद पेश किया जायेगा। लेकिन माननीय सदस्य इस विवरण से सही परिपेक्ष्य में रेलों की वित्तीय स्थिति का अनुमान लगा सकेंगे।

चौथी पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष समाप्त हो रहा है। इन दो वर्षों में 186 किलोमीटर नयी लाइनें यातायात के लिए खोली गयीं, 420 किलोमीटर रेल-पथ पर दोहरी लाइन बिछायी गयी और 326 किलोमीटर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम प्रायः पूरा कर लिया गया। चल स्टाक में 418 रेल इंजनों (226 डीज़ल, 79 बिजली और 113 भाप चालित) 2,857 सवारी डिब्बों और चौपहियों के हिसाब से 26,702 माल डिब्बों की वृद्धि हुई। 91 नयी गाड़ियां चलायी गयीं और वर्तमान 78 गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया। इस प्रकार रेलों ने दैनिक गाड़ी किलोमीटर में 17,404 की वृद्धि कर ली। इसके अतिरिक्त उपनगरीय खण्डों में 145 नयी गाड़ियां चलायी गयीं और वर्तमान 37 गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया और इस प्रकार उपनगरीय खण्डों में दैनिक गाड़ी किलोमीटर 7,436 बढ़ गया।

3. सबसे पहले मैं विगत समाप्त वर्ष 1969–70 के वित्तीय परिणामों की चर्चा करूंगा। इस वर्ष यातायात से कुल प्राप्ति 951.28 करोड़ रुपये रही जो प्रायः 950.55 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान जितनी ही है। साधारण संचालन व्यय का संशोधित अनुमान 683.05 करोड़ रुपये रहा। वास्तविक खर्च 684.94 करोड़ रहा जो संशोधित अनुमान से 1.89 करोड़ रुपये अधिक है। मूल्यह्रास आरक्षित निधि में वार्षिक विनियोग, पेंशन निधि, शुद्ध विविध व्यय और सामान्य राजस्व को देय लाभांश जैसी खर्च की मदों का लेखा-जोखा करने के बाद घाटे की रकम 9.83 करोड़ रुपये रही जबकि संशोधित अनुमान तैयार करते समय इसका पूर्वानुमान 12.55 करोड़ रुपये लगाया गया था। 9.83 करोड़ रुपये का यह घाटा सामान्य राजस्व से 8.86 करोड़ रुपये ऋण लेकर और बाकी रकम राजस्व आरक्षित निधि से निकाल कर पूरा किया गया।

परिचालन सम्बन्धी आवश्यक किंतु अलाभप्रद निर्माण-कार्यों, यात्री सुविधाओं और कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने के लिए रेलवे में एक विकास निधि है। 1969–70 में इन कामों पर 17.08 करोड़ रुपये का खर्च हुआ। ब्याजदेय पूंजी पर सामान्य राजस्व को देय लाभांश चुकाने के बाद राजस्व लेखे में जो बचत होती हैं, वह विकास निधि में डाली जाती है। जैसा कि मैं बाद में बताऊंगा, रेलें इस वर्ष राजस्व लेखे में कोई बचत नहीं कर सकीं। इसलिए 18.15 करोड़ रुपये सामान्य राजस्व से ऋण लेकर और विकास निधि में बचे हुए 36 लाख रुपयों को निकाल कर 18.51 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। इसके परिणामस्वरूप

1969–70 के अन्त में विकास निधि के अन्तर्गत सामान्य राजस्व के प्रति रेलों की ऋण-दायिता 25.30 करोड़ रुपये से बढ़कर 43.45 करोड़ रुपये हो गयी । सामान्य राजस्व के प्रति कुल ऋण दायिता बढ़कर 52.31 करोड़ रुपये हो गयी ।

संशोधित अनुमान, 1970–71

4. चालू वर्ष का जो बजट अनुमान शुरू में पेश किया गया था, उसमें 22.3 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान लगाया गया था । पिछले वर्ष सदन की इच्छा का आदर करते हुए मेरे पूर्ववर्ती रेल मत्री ने तीसरे दर्जे के यात्री किरायों और भाड़ों की दरों, विशेष रूप से अनाज पर भाड़े की दरों, में कुछ प्रस्तावित वृद्धियों को वापस ले लिया था और इस तरह हमने 13 करोड़ रुपये की आमदनी छोड़ दी थी । परिणामस्वरूप बजट में जो बचत दिखायी गयी थी वह गिरकर 9.38 करोड़ रुपये रह गयी । संशोधित अनुमान में अब 23.69 करोड़ रुपये का घाटा है । यातायात से कुल प्राप्ति में 5 करोड़ रुपये की कमी हुई और संचालन-व्यय लगभग 30.77 करोड़ रुपये बढ़ गया । विविध-व्यय में 1.42 करोड़ रुपये और सामान्य राजस्व को देय लाभांश में 1.28 करोड़ रुपये की कमी हुई है । इन सब कारणों से कुल मिलाकर 23.69 करोड़ रुपये का घाटा है ।

1970–71 का बजट तैयार करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि 1969–70 के 1738 लाख मीटरिक टन की तुलना में 1970–71 में राजस्व उपार्जक यातायात 1839 लाख मीटरिक टन होगा । लेकिन वास्तव में 101 लाख मीटरिक टन वृद्धि के बजाय, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व उपार्जक यातायात इस वर्ष 43 लाख मीटरिक टन कम होगा । इस्पात कारखानों से आने-जाने वाले माल, आम इस्तेमाल के कोयले और अन्य माल यातायात में बहुत अधिक गिरावट आयी है । प्रारम्भिक माल यातायात में गिरावट का प्रभाव, सौभाग्य से रेलों की आमदनी पर अनुपातत: उतना नहीं पड़ा । इसके मुख्यत : दो अनुकूल कारण हैं – वहन-दूरी में औसतन 2.2 प्रतिशत की वृद्धि और रेलों द्वारा ढोये गये कुल मिले-जुले माल यातायात में ऊंची दर वाले यातायात का अधिक अनुपात । यदि पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति असंतोषजनक न रही होती । गुजरात में अनधिकृत हड़तालें न हुई होती और बाढ़ के कारण रेलवे लाइनों में टूट-फूट न हुई होती, तो निश्चित रूप से रेलवे को इससे भी अधिक आमदनी होतीं । माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अनिवार्य रेल सेवाओं को चालू रखने के लिए इस वर्ष तीन बार अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू करना पड़ा । पिछले महीने पूर्व रेलवे के धनबाद मंडल में और इस महीने के शुरू में दक्षिण-पूर्व रेलवे के टाटानगर-यार्ड और शैड में आकस्मिक हड़ताल के मौके पर यह अधिनियम लागू किया गया । धनबाद मंडल में हड़ताल के कारण देश के शेष भागों में घरेलू इस्तेमाल और उद्योग-धन्धों में खपत के लिए कोयले की सप्लाई प्राय: बन्द हो गयी थी । यहां तक कि कुछ दिनों तक 900 से अधिक सवारी गाडियाँ बन्द कर देनी पड़ीं । दक्षिण-पूर्व रेलवे के टाटानगर यार्ड और शैड में जो हड़ताल हुई उसके कारण इस्पात कारखानों को लोह अयस्क, कोयले और कोक जैसे महत्वपूर्ण सामान भेजने में कठिनाई हुई । खेद की बात यह है कि ये दोनों हड़तालें बहुत मामूली और बेतुके कारण को लेकर की गयीं । इन हड़तालों का औद्योगिक

विवाद और ट्रेड-यूनियन के अधिकारों और जिम्मेदारियों से कोई सम्बन्ध नहीं था। एक हड़ताल तो केवल रेल कर्मचारियों के दो परिवारों में झगड़े के कारण और दूसरी हड़ताल रेल इंजन के एक कर्मचारी और रेलवे अस्पताल के एक कम्पाउंडर में कहा-सुनी हो जाने के कारण हुई। इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार गैर-जिम्मेदारी और गुमराह आन्दोलनों से राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुँचतीं हैं।

माननीय सदस्यों को जो बजट प्रलेख दिये गये हैं, उनमें एक पुस्तिका भी है जिससे इस वर्ष घटित उन महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया हैं जिनके परिणामस्वरूप रेल सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों की क्षति हुई और संचार-व्यवस्था भंग होने, प्रदर्शनों, बंदों, हड़तालों और रेल कर्मचारियों पर हमलों के कारण रेल सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गयीं। मेरी तरह माननीय सदस्यों को भी यह जानकर राहत मिलेगी कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कुल प्राप्ति आशोधित बजट की तुलना में केवल 5 करोड़ रुपये कम है।

चालू वर्ष में कई महत्वपूर्ण कारणों से, जो रेलवे के काबू से बाहर थे, रेलों के राजस्व व्यय पर भारी बोझ आ पड़ा। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के विनिश्चय के अनुसार कर्मचारियों को अन्तरिस राहत दिये जाने के फलस्वरूप संचालन व्यय 36 करोड़ रुपये बढ़ गया। कई अन्य मदों पर भारी खर्च पूरा करने के लिए बड़ी रकम जुटानी पड़ी; जैसे बाढ़ से नुक्सान के कारण 2.40 करोड़ रुपये, पंचनिर्णयों के फलस्वरूप कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये, यात्रा और दैनिक भत्तों की दरो में वृद्धि के कारण 1.25 करोड़ रुपये और विभिन्न सामानों की कीमतों में वृद्धि के कारण लगभग 5 करोड़ रुपये। वर्ष की पहली छमाही में गिरती हुई आमदनी और बढ़ते हुए खर्च से स्थिति निराशा-जनक दिखायी देती थी। इसलिए आमदनी अधिक से अधिक बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए अनवरत और जोरदार जोरदार अभियान शुरू किया गया। इन अभियानों के परिणाम आशाजनक रहे हैं। वर्ष के मध्य में स्थिति का जो मूल्यांकन किया गया, उससे यह आशंका हुई कि रेलवे का घाटा 47 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा। आमदनी बढ़ाने और खर्च कम करते के लिए किये गये विभिन्न उपायों के फलस्वरूप घाटा आधा रह गया है; फिर भी मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 100 करोड़ रुपये, पेंशन निधि में 15 करोड रुपये और सामान्य राजस्व को लाभांश के रूप में 165.81 करोड रुपये का विनियोग करने के बाद चालू वर्ष के अन्त तक रेलें 23.69 करोड रुपये के घाटे में रहेंगी। मैं स्वीकार करता हू कि रेलों की वित्तीय स्थिति बहुत सुखद नहीं है, लेकिन मैं इस वर्ष संचालन व्यवस्था मैं एक उत्साहवर्धक पहलू की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। यदि बजट के बाद संचालन व्यय पर 45.65 करोड रुपये का भार न पडता, तो मानवकृत और दैवी आपदाओं के बावजूद प्रायः उतनी ही बचत हुई होती, जिसका मूल बजट में पूर्वानुमान लगाया गया था।

लाइट रेलें

5. मेसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा प्रबंधित तीन लाइट रेल कम्पनियों ने 1970–71 में अपना परिचालन बन्द कर दिया। कुल मिलाकर इन

लाइट रेलों की लम्बाई 246 किलोमीटर थी। इनके नाम इस प्रकार हैं :—(1) उत्तर प्रदेश में शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे (148.9 किलोमीटर) 1–9–1970 से बन्द कर दी गयी; (2) पश्चिम बंगाल में हावड़ा-आमता (70.3 किलोमीटर) और हावड़ा-शियाखला (27.1 किलोमीटर) लाइट रेलें 1–1–1971 से बन्द कर दी गयीं। ये सभी छोटी लाइन की रेलें थीं जो अधिकतर कम दूरी वाले यात्री यातायात की जरूरतों को पूरा करती थीं। शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेल प्रतिदिन लगभग 12,000 यात्री ढोती थी जब कि हावड़ा-आमता और हावड़ा-शियाखला रेलें प्रतिदिन लगभग 25,000 यात्री ढोती थीं। प्रबन्धकों ने यह एलान किया कि जिन क्षेत्रों में ये लाइट रेलें चल रही थीं, वहां सड़क-परिवहन के साथ कड़ी प्रतियोगिता के कारण साल-ब-साल घाटा बढ़ रहा था, जिसके फलस्वरूप इन लाइट रेलों को बन्द कर देना पड़ा। इन तीनों लाइट रेलों में कुल 36 लाख रुपये का घाटा हो चुका था। इनके चल-स्टाक, रेल-पथ और अन्य परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण समुचित रूप से नहीं हो रहा था। इनकी हालत बहुत खराब थी और इनके पुनः स्थापन पर काफी खर्च अपेक्षित था। इन रेलों में यात्री-सुविधाओं का स्तर भी भारत की सरकारी रेलों में सुलभ सुविधाओं की अपेक्षा बहुत नीचा था। रेल मंत्रालय ने इन लाइट रेलों के राष्ट्रीयकरण अथवा इन्हें अपने प्रबन्ध में लेने के सम्बन्ध में विचार किया, लेकिन ध्यानपूर्वक विचार के बाद ऐसा करना जनहित में उचित नहीं समझा गया। इनके उपस्कार के बदलाव और पुनः स्थापन पर हमें न केवल काफ़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी, बल्कि इनका संचालन सरकारी रेलों के स्तर पर लाने के लिए संचालन-लागत भी बहुत अधिक बढ़ जायेगी। सम्बन्धित राज्य सरकारें इन लाइट रेलों के क्षेत्रों में सड़क परिवहन सेवाओं को बढ़ाकर वहां की जनता को परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी कर रही हैं। इन लाइट रेलों के लगभग 3,000 कर्मचारियों को बेरोज़गारी से बचाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने इन्हें भारत की सरकारी रेलों की उपयुक्त कोटियों में रखने का निश्चय किया है।

चुनौती का वर्ष

6. रेलों और रेल कर्मचारियों के लिए, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, यह चुनौती और परीक्षा का वर्ष रहा है। शान्ति और व्यवस्था की स्थिति काफी खराब रही है जिसके फलस्वरूप कई बार गाड़ियों का ठीक ढंग से और नियमित संचालन असम्भव हो गया। अनेक बार रेल सम्पत्ति पर आक्रमण किये गये जिससे यातायात अस्त-व्यस्त हो गया और चल-स्टाक का संचलन रुक गया और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों-विशेष रूप से गाड़ियों के संचालन से सम्बद्ध कर्मचारियों जैसे ड्राइवर, मोटरमैन, गार्ड और सहायक स्टेशन मास्टरों पर हमले किये गये। उग्रवादी तत्वों द्वारा रेल कर्मचारियों पर बम फेंक कर आक्रमण किये जाने की भी कुछ घटनाएं हुई हैं; इसमें से दो-एक घटनाओं में रेल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए।

कुछ दिन पहले, पूर्व रेलवे के एक सहायक अधिकारी की कलकत्ता में दिन-दहाड़े हत्या कर दी गयी जो कि अपने कार्य-स्थल से घर लौट रहे थे। 15 मार्च, 1971 को कुछ उग्रवादियों ने आंडाल में रेल-इंजन शेड के नजदीक एक बम फेंका जो गार्ड और शंटर को

लगा। शंटर की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी और गार्ड घायल हो गया। खतरनाक और हिंसक अपराधियों को पकड़ने में इस वर्ष रेल सुरक्षा दल के 23 कर्मचारियों की मृत्यु हुई और अन्य 164 कर्मचारियों को चोटें आयीं। रेलवे की नकदी लूट लिये जाने की भी कुछ घटनाएं हुई हैं। इस तरह की एक घटना में, एक सशस्त्र गिरोह ने चित्तरंजन में स्टेट बैंक आफ इंडिया पर धावा किया और ड्यूटी पर तैनात रेल सुरक्षा दल के एक अनुरक्षी को मार डाला और जब रेलवे का रोकड़िया बैंक से रुपये ले रहा था, तो वह गिरोह 18.84 लाख रुपये लूट कर ले गया। इस आतंक की रोकथाम और अपराधियों को दंड दिलाने के लिए हम दृढ़ और कठोर कदम उठाने जा रहे हैं।

बड़ी संख्या में, रेल उपस्कर की चोरी और उठाईगीरी की घटनाएं जारी रही। इन घटनाओं के फलस्वरूप रेलवे को न केवल वित्तीय हानि हुई बल्कि रेल परिचालन की कुशलता पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। जैसा कि सदन को मालूम है, अब ग्रैंड कार्ड पर कलकत्ता से से मुगलसराय तक के समूचे मार्ग पर बिजली से गाड़ियां चलायी जा रही हैं। बिजली खंड पर ऊपरी कर्षण के ताम्बे के तार चुरा लिये जाने की घटनाओं के फलस्वरूप गाड़ियों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिदिन कई-कई घंटे अस्त-व्यस्त रहता है। अप्रैल से दिसम्बर, 1970 तक की अवधि में पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों में ऊपरी कर्षण के तार की चोरी की 436 घटनाएं हुई। रेल गाड़ियों का संचालन पूर्णतः दूर-संचार नियंत्रण पर आधारित होता है। दूर-संचार केबुल और उपस्कर की चोरी के कारण रेल परिचालन में प्रायः बाधा पड़ती रही। दूर-सचार केबुल की प्रत्येक चोरी के परिणामस्वरूप गाड़ियों का नियंत्रण-कार्य लगभग 10 घन्टे तक रुका रहता है। इस अवधि में गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण गाड़ियों को काफी देर तक रुकना पड़ता है और यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है। इन चोरियों का पता इस तथ्य से चलता है कि केवल पूर्व रेलवे अप्रैल और दिसम्बर, 1970 के बीच दूर-संचार केबुलों और उपस्कर की चोरी की 4,163 घटनाएं हुई।

यात्री-सुविधाएं

7. मैं जानता हूं कि यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए माननीय सदस्यों का बड़ा आग्रह रहता है। यात्री-सुविधाओं में सुधार के लिए रेलें हर साल लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च कर रही हैं। मुझे यह सूचित करने में प्रसन्नता है कि सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास के फलस्वरूप गाड़ियों में रोशनी, पंखों और पानी की सप्लाई आदि में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। दुर्भाग्यवश समाज-विरोधी तत्व रेल सम्पत्ति को अंधाधुन्ध क्षति पहुँचाते हैं और संगठित रूप से चोरी करते हैं। सवारी डिब्बों में फिटिंग के कई सामान, जैसे पंखे की सप्लाई कम है। जिस गति से ये सामान गायब होते हैं, उस गति से इनके बदले नया सामान लगाना कठिन हो जाता है। विशेष रूप से जिन यार्डों में फिटिंग की चोरी की अधिक घटनाएं होती हैं, उनमें सवारी डिब्बों और दूसरे स्टाक पर कड़ी निगाह रखने के लिए रेल सुरक्षा दल को सतर्क कर दिया गया है। सवारी डिब्बों के उपस्कर के अनुरक्षण और उसमें सुधार के लिए हम तत्परता और गम्भीरता के साथ कदम उठा रहे हैं।

अनाज की ढुलाई

8. 'हरित क्रान्ति' के फलस्वरूप देश में सब जगह अनाज का उत्पादन बढ़ा है। विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब में फसल बहुत अच्छी रही है। देश के दूरस्थ स्थानों में अधिक मात्रा में अनाज पहुँचाने का काम रेलों ने सफलतापूर्वक किया है। जनवरी, 1971 को समाप्त होने वाले पिछले 10 महिनों में रेलों ने बड़ी लाइन के 3,83,093 माल डिब्बे अनाज ढोया।

बजट अनुमान, 1971–72

9. अब मैं 1971–72 के बजट अनुमान का जिक्र करूंगा। किराये-भाड़े के वर्तमान स्तर के अनुसार 1971–72 में यातायात से कुल 1,044 करोड़ रुपये प्राप्ति का अनुमान है जो चालू वर्ष की तुलना में 40 करोड़ रुपये अधिक है। 'अन्य कोचिंग' मद में आमदनी का अनुमान वृद्धि की सामान्य दर के आधार पर लगाया गया है। यात्री यातायात उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से चालू वर्ष में बढ़ा है। इसलिए 1971-72 में यात्री यातायात से होने वाली प्राप्ति में केवल 3 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह भी अनुमान है कि 90 लाख मीटरिक टन अतिरिक्त यातायात का जो पूर्वानुमान बजट में लगाया गया है और जिसकी ढुलाई रेलों को अगले वर्ष करनी पड़ेगी, वह समूचा राजस्व उपार्जक यातायात होगा और इससे माल-यातायात की आमदनी में 30 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

रेलों का शुद्ध साधारण संचालन व्यय 765.44 करोड़ रुपये रखा गया है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 33.68 करोड़ रुपये अधिक है। संचालन व्यय में वृद्धि मुख्यत: इन मदों में है :—कर्मचारियों की लागत (17.53 करोड़ रुपये) ईंधन (7.80 करोड़ रुपये), मरम्मत और अनुरक्षण (5.03 करोड़ रुपये) और विविध व्यय (3.32 करोड़ रुपये)। चालू वर्ष की तरह पेंशन निधि में 15 करोड़ रुपये का विनियोग किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में की गयी व्यवस्था के अनुसार मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 105 करोड रुपये कर दिया गया है। इस बात की संभावना है कि चालू लाइन निर्माण राजस्व और अन्य विविध मदों पर खर्च में 2.79 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और इन मदों का खर्च बढ़कर 17.91 करोड़ रुपये हो जायेगा। ब्याजदेय पूंजी बढ़ जाने के कारण सामान्य राजस्व को देय लाभांश की रकम भी चालू वर्ष के 165.81 करोड़ रुपये से बढ़कर 173.77 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। अत: किराये और भाड़ों के वर्तमान स्तर और कर्मचारियों और सामान की लागत के आधार पर सामान्य राजस्व को देय लाभांश के पूरे भुगतान के लिए 33.12 करोड़ रुपये की कमी होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए सामान्य राजस्व से ऋण लेना आवश्यक होगा।

पिछले तीन वर्षों के वित्तीय परिणामों के जो आंकड़े मैंने दिये हैं, उनसे माननीय सदस्यों ने यह अनुमान लगा लिया होगा कि रेलों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वास्तव मे, रेलों की स्थिति 1964–65 से ही बिगड़ने लगी थी। उसी वर्ष से रेलें विकास निधि से किये जाने वाले कार्यों का खर्च पूरा नहीं कर सकी। 1966–67 से रेलें सामान्य राजकोष को दिये जाने वाले वार्षिक लाभांश की दायित्व को भी पूरा करने में असमर्थ रहीं।

1966–67 के प्रारम्भ में राजस्व आरक्षित निधि में संचित राशि 63 करोड़ रुपये थी, जो समाप्त हो गयी है। इसके अलावा लाभांश सम्बन्धी दायिता को पूरा करने के लिए 1969–70 में 8.86 करोड़ रुपये और 1970–71 में 24.92 करोड़ रुपये का दूसरा ऋण लेना पड़ा। 1971–72 में कुल लाभांश का भुगतान करने और पिछले ऋणों का एक तिहाई अंश चुकाने के लिए रेलों को सामान्य राजस्व से 45.51 करोड़ रुपये का ऋण लेना होगा। इससे आगामी वर्ष के अन्त तक इस लेखे में सामान्य राजकोष के प्रति रेलों की ऋण-दायिता बढ़कर 65.08 करोड़ रुपये हो जायेगी।

जिन निर्माण-कार्यों का खर्च विकास निधि से किया जाता है, उनका खर्च पूरा करने के लिए रेलों को चालू वर्ष में 21.58 करोढ़ रुपये और 1971–72 में 23.49 करोड़ रुपये का दूसरा ऋण लेना होगा। 1971–72 के अन्त तक विकास निधि के लेखे में सामान्य राजस्व की कुल ऋण-दायिता 88.52 करोड़ रुपये हो जायेगी।

इस प्रकार दोनों ऋणों को मिलाकर 1971–72 के अन्त तक रेलों पर सामान्य राजस्व का कुल ऋण 153.60 करोड़ रुपये हो जायेगा। इसलिए रेलों को न केवल इस ऋण की अदायगी के लिए पर्याप्त साधन जुटाने होंगे, बल्कि राजस्व आरक्षित निधि और विकास निधि का भी पुनर्निर्माण करना होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उपर्युक्त गणना में वह अतिरिक्त वित्तीय भार शामिल नहीं किया गया है जो तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों और रेल विवाचन अधिकरण के निर्णय के फलस्वरूप रेलों पर पड़ सकता है।

निर्माण व्यय

10. 1969–70 में निर्माण व्यय 243.30 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 50.83 करोड़ रुपये कम था, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं कुछ निर्माण-कार्यों की धीमी प्रगति और कुछ सामान, विशेष रूप से इस्पात, की प्राप्ति के कार्यक्रम में विलम्ब और चल-स्टाक का कम उत्पादन।

चालू वर्ष में निर्माण, मशीन और चल-स्टाक के लिए शुद्ध व्यय का संशोधित अनुमान लगभग 241 करोड़ रुपये रखा गया है जब कि बजट अनुमान 280 करोड़ रुपये का था। संशोधित अनुमान में कम रकम, निर्माण कार्यों की वास्तविक प्रगति, कारखानों में चल-स्टाक के उत्पादन और बाहरी एजेन्सियों से सामान की प्रत्याशित सुपुर्दगी और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की गयी है। 1971–72 के बजट वर्ष में निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम के लिए 280 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह रकम मूल चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित परिव्यय से लगभग 28 करोड़ रुपये कम है। परिव्यय में यह कमी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में प्रगति आशा के अनुरूप नहीं हुई। हमेशा की तरह इस बार भी निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण मदों का सारांश बजट प्रलेखों के साथ दिया गया है। इनका ब्यौरा निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम नामक पुस्तक में दिया गया है। यह पुस्तक भी बजट प्रलेखों के साथ माननीय सदस्यों को दी गयी है।

रेल अभिसमय समिति, 1968

11. 1965 में संसद् के दोनों सदनों की एक समिति ने, जिसे रेल अभिसमय समिति कहा जाता है, रेलों और सामान्य वित्त के बीच वित्तीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी । दिसम्बर, 1965 में संसद् के दोनों सदनों ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सरकार द्वारा स्वीकृत समिति की सिफारिशों के सन्दर्भ में रेलवे वित्त और सामान्य राजस्व के बीच संबधों की व्याख्या की गयी थी । ये व्यवस्थाएं चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ समाप्त होने वाली थीं जिसे पहले 1 अप्रैल, 1966 से शुरू करने का विचार था ।

इस बीच तीन वार्षिक योजनाओं पर अमल किया गया और नयी चौथी योजना केवल 1 अप्रैल, 1969 से ही शुरू की जा सकी । तदनुसार, नवम्बर-दिसम्बर, 1968 में संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार रेल अभिसमय समिति, 1968 का गठन किया गया । इस समिति की कई बैठकें हुईं और समिति ने उत्पादन कारखानों और कुछ रेल मुख्यालयों का दौरा किया । लेकिन समिति अपना विचार-विमर्श पूरा करके अपनी रिपोर्ट पेश न कर सकी क्योंकि दिसम्बर, 1970 में लोक सभा भंग होने के साथ-साथ समिति भी समाप्त हो गयी । इस तरह की समिति की आवश्यकता अब भी है और उसे यथा संभव शीघ्र सदन के संकल्प द्वारा गठित करना होगा ।

कर्मचारी कल्याण और कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध

12. 1965-66 में कर्मचारियों के कल्याण पर प्रति व्यक्ति 138 रुपये खर्च होता था । 1969-70 में यह खर्च बढ़ कर 175 रुपये हो गया । केवल चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत, जो 1968-69 में 15.92 करोड़ रुपये थी, 1969-70 में बढ़कर 17.08 करोड़ रुपये हो गयी । आशा है कि 1970-71 में यह लागत और बढ़कर 17.80 करोड़ रुपये हो जायेगी ।

1969-70 में कर्मचारियों के लिए 6,000 से अधिक क्वार्टर बनाये गये । इस प्रकार बर्ष के अन्त तक क्वार्टरों की कुल संख्या 5 लाख से अधिक हो गयी । 1970-71 के अन्त तक कर्मचारियों के क्वार्टरों पर लगायी गयी कुल रकम बढ़कर लगभग 200 करोड़ रुपये हो जायेगी जिसमें भूमि की लागत शामिल नहीं है ।

रेल कर्मचारियों के कल्याण और मनोरंजन के लिए जो अन्य सुविधाएं दी गयी हैं, उनमें अवकाश-गृह, इन्स्टीट्यूट, क्लब, खेल के मैदान आदि शामिल हैं । 1969-70 में 3,400 से अधिक कर्मचारियों ने 21 अवकाश-गृहों की सुविधा का लाभ उठाया ।

मुझे यह सूचित करने में प्रसन्नता है कि इस वर्ष श्रमिक संगठनों के साथ सौहार्दपूर्ण और सन्तोषजनक सम्बन्ध बना रहा । जब कभी अपने कामों से बिल्कुल असम्बद्ध छोटे-छोटे मामलों को लेकर कुछ ग़ैर ज़िम्मेदार और उद्दण्ड लोगों ने अनधिकृत हड़तालें कीं, तब-तब दोनों फेडरेशनों ने ज़िम्मेदार ट्रेड यूनियनों के अनुरूप काम किया और सामान्य स्थिति कायम करने में मदद दी । स्थायी वार्ता-तन्त्र ने सभी स्तरों पर अच्छा काम किया । इस तन्त्र से कर्मचारियों की बहुत सी समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिली और इसके सन्तोषजनक परिणाम निकले । माननीय सदस्य जानते होंगे कि कुछ ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए

कुछ समय पहले एक विवाचन अधिकरण नियुक्त किया गया था, जिन पर कर्मचारियों के फेडरेशनों के साथ समझौता नहीं हो सका था। अधिकरण द्वारा कुछ सिफारिशें की जा चुकी हैं जिन पर अमल किया जा रहा है।

रेलों के लिए यह वर्ष कुछ कठिनाई और गतिरोध का वर्ष रहा है। अपराधियों, उग्रवादियों और राजनैतिक प्रदर्शनकारियों के हाथों रेल सम्पत्ति को क्षति पहुँची है। केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार से सम्बन्धित किसी न किसी मांग को लेकर लोगों ने रेलों पर अभिप्रेरित आक्रमण किये। लेकिन रेल के संचालन में लगे हुए कर्मचारियों की कर्त्तव्यनिष्ठा पर इस दबाव और तनाव का कोई प्रभाव नहीं पडा है। इन कर्मचारियों ने सराहनीय साहस का परिचय देते हुए राष्ट्र के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाया है। अंततः रेलों का संचालन कोयला, तेल या बिजली से नहीं, बल्कि रेल कर्मचारियों की कर्त्तव्यनिष्ठा से होता है। रेल कर्मचारियों ने अनवरत सेवा और सहयोग का वचन दिया है। रेल प्रशासन की कार्य-कुशलता ही नहीं, बल्कि उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार की आशा भी इसी में निहित है।

अध्यक्ष महोदय, आपने और माननीय सदस्यों ने धैर्यपूर्वक मेरा भाषण सुना, इसके लिए मैं आभारी हूँ।

मनीपुर बजट
MANIPUR BUDGET

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं वर्ष 1971–72 के लिए मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

इस बारे में एक विवरण भी है जो आपकी अनुमति से मै सभा पटल पर रखता हूँ।

विवरण

मणिपुर की विधान सभा को भंग करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के 16 अक्टूबर 1969 के आदेश की अवधि बाद में 13 अक्टूबर 1970 को जारी किये गये आदेश द्वारा बढ़ा दी गयी थी। इसके अनुसार, इस राज्य क्षेत्र की विधान-सभा की शक्तियों का प्रयोग संसद् द्वारा किया जाना है। तदनुसार, इस संघीय राज्य क्षेत्र का बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. जहां तक इस राज्य क्षेत्र की बजट सम्बन्धी स्थिति का सम्बन्ध है, इस वर्ष राजस्व-प्राप्तियों का अनुमान 2.22 करोड़ रुपया और राजस्व से किये जाने वाले व्यय का अनुमान 15.79 करोड़ रुपया लगाया गया है। इस प्रकार, चालू वर्ष में राजस्व खाते में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों की राशि 13.57 करोड़ रुपया होगी, जबकि बजट-अनुमानों में 12.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। अगले वर्ष, इस राज्य क्षेत्र में 2.57 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का और राजस्व से किये जाने वाले व्यय का अनुमान 16.76 करोड़ रुपया लगाया गया है। राजस्व खाते में होने वाली 14.19 करोड़ रुपये की कमी को, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों से पूरा किया जायगा।

इस वर्ष पूंजी खाते के व्यय के बारे में 4.31 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है जबकि बजट अनुमान 3.71 करोड़ रुपये का था। अगले वर्ष 4.77 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। इसकी पूर्ति केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणो से की जायगी। प्राप्तियों और भुगतान

का पूरा ब्योरा व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है जो बजट पत्रों के साथ परिचालित किया गया है ।

3. अगले वर्ष के बजट में संघीय राज्य क्षेत्र की आयोजना के लिए 5.72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, इस राज्य क्षेत्र के पास, जो भारत के पूर्वी छोर पर स्थित है, देश के शेष भाग के साथ सम्पर्क का केवल एक विश्वस्त साधन अर्थात् इम्फाल से नागालैंड के रेल-शीर्ष (रेल-हैड) दीमापुर तक की सड़क है । संचार के एक वैकल्पिक और बेहतर साधन की व्यवस्था करने के लिए, असम के सिल्चर नामक स्थान से इम्फाल तक एक सड़क बनाने का काम कुछ वर्ष पूर्व शुरू किया गया था । सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सड़क बनाने का काम अब लगभग पूरा हो चुका है । अगले वर्ष के बजट में, इम्फाल को जिला सदरमुकामों के साथ और सब-डिवीजनल सदरमुकामों को एक-दूसरे के साथ जोड़ने वाली अन्य सड़कों के सुधार के लिए भी 95 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

4. इस राज्य क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली बिजली, आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत कम है । इस कमी को पूरा करने के लिए, चालू वर्ष में और अधिक डीजल सेट लगा कर स्थापित क्षमता लगभग दुगुनी अर्थात् 5.500 किलोवाट तक कर दी गयी है । चूंकि अभी यह क्षमता भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए अगले वर्ष भी बिजली के उत्पादन और वितरण में और वृद्धि करने का इरादा है । इसके अलावा लोकटक पन-बिजली प्रायोजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 2.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है ।

5. अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में भी अधिक रकम खर्च करने का विचार है । संघीय राज्य क्षेत्र की अगले वर्ष की आयोजना में इस प्रयोजना के लिए 57 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । अनुमान है कि अधिक उपज वाली किस्मों की खेती के क्षेत्र में 4,000 हेक्टेयर की वृद्धि हो जायगी । इसके अतिरिक्त, काजू और अखरोट के विकास तथा अधिक फसलें उपजाने की प्रणालियों का प्रदर्शन करने के काम को और जोरदार बनाने का विचार है । कृषि के अन्य क्षेत्रो, जैसे मछली-पालन, मुर्गीपालन, सुअरपालन, वनों आदि का भी विकास करने का विचार है ।

6. अगले बजट में शिक्षा और लोक-स्वास्थ्य योजनाओं के लिए पहले से अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है । इसके अलावा, आदिम जाति विकास, परिवार-नियोजन और मलेरिया उन्मूलन जैसी केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए भी व्यवस्था की गयी है ।

7. इसमें सन्देह नहीं कि विकास की गति तेज करने के लिए अधिक रकम खर्च करना जरूरी है । परन्तु जिस रकम की व्यवस्था की गयी है, वह उतनी ही है जितनी कि उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए की जा सकती थी और मुझे विश्वास है कि इन उपायों से इस संघीय राज्य क्षेत्र का और विकास करने में सहायता मिलेगी ।

धन्यवाद ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 24 मार्च, 1971/3 चैत्र, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 24th March, 1971/3 Chaitra, 1893 (Saka)